056626250
27/1

Office of the Accountant General (A&E)-II,UP
20, Sarojini Naidu Marg, Allahabad 211001
Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402
LID-31705, 32815, CAG NO.-124C(DY.NO.68), 31902/1618

Under Special Seal

Circular No:- Pension (Misc)/Dearness Relief/U.P./ Dt: 16/01/2018

To,

Accountant General (A&E),
Andhra Pradesh,
Saifabad, Hyderabad-500004

Subject:- (1)G.O. No. 21/2017/Sa-3-370/X-2017-301/2000 T.C. dt. 17/07/2017 reg.
(2) No. 31/2017/Sa-3-524/X-2017-308(8)/2016, dt. 04/09/2017
(3) No. 24/2017/वे0आ0-2-1149/X-04(M)/2016, dt. 22/12/2017
(4) G.O. No. 37/2017/Sa-3-774/X-2017-301/2000 T.C. dt. 14/12/2017

I am forwarding herewith copies of office memo:-
(1)G.O. No. 21/2017/Sa-3-370/X-2017-301/2000 T.C. dt. 17/07/2017,
(2) No. 31/2017/Sa-3-524/X-2017-308(8)/2016, dt. 04/09/2017,
(3) No. 24/2017/वे0आ0-2-1149/X-04(M)/2016, dt. 22/12/2017.
(4) G.O. No. 37/2017/Sa-3-774/X-2017-301/2000 T.C. dt. 14/12/2017
on the subject cited above for necessary action please.

Encl:- As stated above

PH-06-TS

Yours Faithfully,

Accounts Officer/Pension

INWARD
29 JAN 2018
No.......
Telangana, Hyderabad-500004

O/o Prl. Accountant General (A&E)
AP & Telangana, Hyderabad
19-JAN-18
500509

500509

1)

2) Event of DR

R 32406
1/1/2018

500505

संख्या-24/2017/वे0आ0-2-1149/दस-04(एम)/2016

प्रेषक,

मुकेश मित्तल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

(वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 22 दिसम्बर, 2017

विषय :-- दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति के फलस्वरूप अवशेष देयों के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप निर्गत संकल्प दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 के उप प्रस्तर-17(i) एवं पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या- संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-10(i) में दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स एवं मंहगाई भत्ता के देय अवशेष का भुगतान किये जाने की व्यवस्था दी गयी है, जिसे शासनादेश संख्या-20/2017/वे0आ0-2-886/दस-2017-04(एम)/2017, दिनांक 21 सितम्बर, 2017 द्वारा परिवर्तित करते हुये यह व्यवस्था की गयी थी कि दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक के देय अवशेष के 50 प्रतिशत अंश, जिसका भुगतान वित्तीय वर्ष-2017-18 के माह अक्टूबर में किये जाने की व्यवस्था की गयी थी, का भुगतान माह दिसम्बर, 2017 के उपरान्त किया जायेगा।

उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय कर्मचारियों, राजकीय शिक्षकों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, नगरीय स्थानीय निकायों के कार्मिकों तथा पेंशनरों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक के अवशेष के 50 प्रतिशत अंश का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 में तथा 50 प्रतिशत अंश का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019-20 में किया जायेगा।

.....2/

http://shasanadesh.up.nic.in

उपर्युक्त संकल्प संख्या-62/2016/वे0आ0-2-2643/दस-04(एम)/2016, दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 एवं शासनादेश संख्या- संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 तथा शासनादेश संख्या-20/2017/वे0आ0-2-886/दस-2017-04(एम)/2017, दिनांक 21 सितम्बर, 2017 के सम्बन्धित प्रस्तर इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,

मुकुल सिंघल
सचिव।

<u>संख्या-24/2017/वे0आ0-2-1149(1)/दस-04(एम)/2016, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- I एवं II तथा (आडिट)- I एवं II, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4- अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ कि सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 03 जनवरी, 2017 के क्रम में उपरोक्तानुसार आदेश निर्गत कराने का कष्ट करें।
5- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
6- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
7- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग।
8- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग/इरला चेक अनुभाग।
गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार जोशी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in